162

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– एम0 के0 सिंह,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1984–दो/2007 विरूद्ध आदेश, दिनाक 14–8–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 17/2005–06/निगरानी

श्रीमती अंगूरीबाई पत्नी श्री केदार सिंह
निवासी ग्राम मानपुर तहसील व जिला भिण्ड म0 प्र0

.....आवेदिका

विरूद्ध

1 औतार सिंह पुत्र बद्री सिंह निवासी गिरवाई
तहसील व जिला ग्वालियर म0 प्र0
2 भगवान सिंह पुत्र गरसिंह
3 रामस्वरूप पुत्र गर सिंह
4 श्रीमती भगवती पुत्री गर सिंह
5 इन्द्रवीर पुत्र भजन सिंह
6 रामवीर पुत्र भजन सिंह
7 दलवीर पुत्र भजन सिंह
8 सरस्वती पुत्री भजन सिंह
9 विध्या देवी पुत्री भजन सिंह
10 मालाबाई पत्नि स्व0 श्री साबूसिंह पुत्री भजन सिंह
समस्त निवासीगण मानपुरा तहसील व जिला भिण्ड म0 प्र0

–अनावेदकगण

श्री एस0 एल0 धाकड़ अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19–8–2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 17/2005–06/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14–8–2006 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अतर्गत प्रस्तुत की गयी है ।

2/ आवेदिका की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित, अनावेदक पूर्व से एक पक्षीय है आवेदिका अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये । उन्होने अपने तर्क में बताया गया है कि विवादित खाता कमांक 4 के रकवा 10 बीघा 15 बिस्वा के पूर्व भूमिस्वामी आवेदिका के स्व0 पिता करन सिंह एवं आवेदिका के स्व0 पिता की खास काकी थी । आवेदिका एवं महिला द्रोपतीबाई 1/2 समान भाग के स्वत्व एवं स्वामित्व की है । महिला द्रोपतीबाई के कोई संतान नहीं थी । द्रोपतीबाई आवेदिका के पिता के साथ रहती थी । जो अक्सर बीमार रहती थी । द्रोपतीबाई के पति के भाई का लडका स्व0 करन सिंह एक मात्र वैध वारिस था । करन सिंह की एक मात्र पुत्री अंगूरीबाई वैध वारिस होने से खाता कमांक 4 के संपूर्ण रकवा 10 बीघा 15 बिस्वा की भूमिस्वामी है ।

अनावेदक कमांक 1 के पिता बद्री सिंह एवं अनावेदक कमांक 2 से 4 के पिता गर सिंह तथा अनावेदक कमांक 5 से 10 के पिता भजन सिंह दूर के चाचा–ताऊ के लडके है उक्त विवादित भूमि पर उनका पूर्व से ही उनका कोई संबंध नहीं रहा है । अनावेदक 2 से 4 के पिता द्वारा फर्जी वसीयत के आधार पर कार्यवाही की है असल वसीयत भी प्रस्तुत नहीं की है । गर सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में कोई कार्यवाही नहीं की । आवेदकगण दूर के रिश्ते के होने से उक्त विवादित भू–भाग खाता कमांक 4 में कोई अधिकार नहीं है । एक मात्र वैध वारिस आवेदिका अंगूरीबाई है ।

3/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार ग्वालियर के प्रत्र 19/81–82/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 31–3–1999 के द्वारा ग्राम गिरवाई के खाता कमांक 4 रकवा 10 बीघा 15 बिस्वा के 1/2 भाग की भूमिस्वामी द्रोपतीबाई से एक वसीयत अनावेदक कमांक 2 से 4 के स्व0 पिता गर सिंह ने करा ली गई, गर सिंह के फोत होने पर उनके वारिसान के नाम पर नामांतरण के आदेश दिये गये, इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रकरण कमांक 634/98–99 प्रस्तुत की गई । जो आदेश दिनांक 28–4–2004 के द्वारा अपील स्वीकार कर प्रकरण आवश्यक निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध भगवान सिंह द्वारा अपर कलेक्टर ग्वालियर के समक्ष प्रकरण कमांक 36/03–04/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17–10–2005 के द्वारा निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर दिया गया है । अनावेदक कमांक 1 औतार सिंह द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर के समक्ष प्रकरण कमांक 17/05–06/निगरानी

प्रस्तुत की जिसमें पारित आदेश दिनांक 14–8–2006 से स्वीकार की गई । जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

4 / आवेदिका अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं तर्कों पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के अभिलेख से यह तथ्य स्पष्ट है । कि मूल वसीयत पेश नहीं की गई है । फोटो के आधार पर साक्ष्य ली गई, द्रोपतिबाई अक्सर बीमार रहती है जो प्रस्तुत न्याय दृष्टांत 1995 राजस्व निर्णय 285 एवं 2002 राजस्व निर्णय 324 से स्पष्ट किया गया है । तथा वसीयत को संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया गया । न्याय दृष्टांत 1995 राजस्व निर्णय 65 से समर्थन किया गया । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–3–1999 उचित नहीं पाये जाने से निरस्त किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि उन्होंने साक्ष्य उपरांत असल वसीयत प्रस्तुत करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । एवं म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 49 (3) का पालन नहीं किया गया । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–10–2005 उचित न होने से निरस्त किया जाता है । अपर कलेक्टर ग्वालियर द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट विवादित बिन्दुओं पर कोई निष्कर्ष नहीं दिये जाने से उचित नहीं पाता हूँ । अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश में तहसीलदार की कमियों एवं असल दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखने में वैधानिक त्रुटि की है । मूल भूमिस्वामी के वैध [illegible] कोई निष्कर्ष न दिये जाने में त्रुटि की है । इसलिये अपर आयुक्त, ग्वालियर संभा[illegible]लियर का आदेश दिनांक 14–8–2006 निरस्त किया जाता है । तथा मूल भूमिस्वामी स्व0 करन सिंह एवं द्रोपतिबाई के वैध वारिस आवेदिका अंगूरीबाई होने से उनका नामांतरण स्वीकार किया जाता है । सरकारी अभिलेख में अमल करें । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर